


फर्द अहकाम

रामनिवास बनाम सरती वगै०  
 न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कोटपूतली-बहरोड़  
 केस संख्या 22/2023 प्रा०पत्र मुक्तकिल

क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
--------	---------------------------------	----------------------	----------------

२५/०१/२५ आज यह पत्रावली पेश हुई जायीं व अजायीं एवं उनके वकील अनुपस्थित रहे। फावली का अवलोकन किया गया। फावली के अवलोकन से जाहिर है कि मुक्तकिल जर्घना का पीछलीन अधिकारी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना के खिलाफ पेश किया गया था। लेकिन तत्कालीन पीछलीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो गया है जिसके कारण यह जर्घना का प्रभावहीन साबित हो गया है। अब इस जर्घना पर का कोई प्रभाव नहीं रह गया है। साथ ही वकील जायीं भी अनुपस्थित है। अतः जर्घनापत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी नीमराना को भिजवाते हैं। फावली के हल शुमार होकर नम्बर से कम है। बाद तक मिले दायिले कातर है।

  
**जिला कलक्टर**  
**कोटपूतली-बहरोड़**